

नाबालिग को शादी के उद्देश्य से बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री राजेश कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु०अ०सं० 178/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस में अभियुक्त श्यामवीर पुत्र रमेश चन्द्र वर्तमान पता निवासी ग्राम भगौतीपुर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ स्थाई पता- ग्राम धर्मपुर भैंसार थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त का नाम पता-

01.श्यामवीर पुत्र रमेश चन्द्र वर्तमान पता निवासी ग्राम भगौतीपुर थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ स्थाई पता- ग्राम धर्मपुर भैंसार थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 18.08.2025 को वादिया मुकदमा ने कोतवाली कायमगंज पर सूचना दी कि अभियुक्त श्यामवीर पुत्र रमेश चन्द्र निवासी उपरोक्त उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। सूचना पर कोतवाली कायमगंज मु0अ0सं0 178/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम श्यामवीर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में बयान वादिया, निरीक्षण घटना स्थल, व अपहृता/पीडिता की बरामदगी कर पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 180/183 बीएनएसएस व मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अभियोग में धारा 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा दिनांक 04.09.25 को वांछित अभियुक्त श्यामवीर उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण अभियुक्त- अभियुक्त श्यामवीर उपरोक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने माफी मांगते हुए शेष सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्तगण श्यामवीर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 178/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस 3/4 पाक्सो एक्ट कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री अवधेश कुमार
- 2- का0 आर्य चौधरी

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।